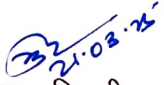
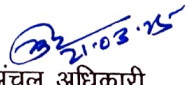


आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से
 जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 50/सन-2024 — 25
 केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वाक्य में टिप्पणी तात्पर्य सहित
1	2	3
21.03.2025	—:आदेश:— यह विविध वाद अभिलेख सं०— 50/2024— 25 आवेदक सुलेमान अंसारी, पिता— भगलु अंसारी, साकिन— चेचायडीह, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 05, श्री कंचन कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— चेचायडीह, थाना नं०— 156 के भौतिक पंजी— II के भाग सं०— III, पृष्ठ सं०— 43 पर सुलेमान अन्सारी, ईलाही अन्सारी, निजामउद्दीन अन्सारी पिता भगलु अन्सारी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। परन्तु ऑनलाइन पंजी— II के भाग सं०— III, पृष्ठ सं०— 43 पर आलिजान मिया, पिता रेवा मिया, सुलेमान अन्सारी, ईलाही अन्सारी, निजामउद्दीन अन्सारी पिता भगलु अन्सारी के नाम से दोहरा जमाबंदी दर्ज है। प्रतिवेदन में भौतिक पंजी— II के अनुसार ऑनलाइन पंजी— II में उक्त कायम जमाबंदी में से आलिजान मिया, पिता रेवा मिया, का नाम हटाने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा— चेचायडीह/156 के ऑनलाईन पंजी— II के भाग सं०— III पृष्ठ सं०— 43 पर कायम जमाबंदी में से आलिजान मिया, पिता रेवा मिया, का नाम हटाने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— चेचायडीह/156 के ऑनलाईन पंजी— II के भाग सं०— III पृष्ठ सं०— 43 पर कायम जमाबंदी में से आलिजान मिया, पिता रेवा मिया, का नाम हटाने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०— 05 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	